उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

संख्या-119/2018/1705/71-1-2018-जी-131/2015टी0सी0-2

लखनऊः दिनांक : 08 मई, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सीधी भर्ती के माध्यम से **फोरेन्सिक मेडिसिन** की विशिष्टिता में प्रवक्ता के रिक्त पद के सापेक्ष डा0 संगीता कुमारी, सी0-4 केन्द्रीय विहार कालोनी, से0-6, जानकीपुरम विस्तार, लखनऊ को वेतन बैण्ड रू0 15600-39100, ग्रेड पे रू0 6000/- में कार्यालय ज्ञाप संख्या-660/71-1-2014-जी-66/2014, दिनॉक 04-03-2014 द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में नियुक्त/तैनात किया गया था। उक्त चिकित्सा शिक्षक द्वारा तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण न करने के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय डा0 संगीता कुमारी की तैनाती स्थल को परिवर्तित कर गृह जनपद के अतिरिक्त निकटतम राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में नियुक्त/तैनात किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- डा0 संगीता कुमारी को निर्देशित किया जाता है कि वे नवीन तैनाती स्थल पर दिनॉक 21-05-2018 तक कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

3- कार्यालय ज्ञाप संख्या-660/71-1-2014-जी-66/2014, दिनॉक 04-03-2014 की शेष शर्ते/प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

शमीम अहमद खान
विशेष सचिव।

संख्या-119/2018/1705 (1)/71-1-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया नियुक्ति आदेश की प्रति वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करे।
3- प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, आगरा, मेरठ ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- कोषाधिकारी,/वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा, मेरठ ।

5- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, आगरा, मेरठ ।

6- संबंधित चिकित्सा शिक्षक (पंजीकृत)।

7- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।